

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
वल्लभ—भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्र. एफ—1 / 14 / 2019 / 20—1

भोपाल, दिनांक 25.10.2019

प्रति,

- 1) आयुक्त,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
- 2) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
मध्यप्रदेश।
- 3) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।
- 4) समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,

विषयः— मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में सुसंगत पदों पर नियुक्ति उपरांत सेवा शर्तों के संबंध में।

संदर्भः— इस विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक एफ 1—14 / 2019 / 20—1 भोपाल दिनांक 27.07.2019

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञाप का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ज्ञाप की कंडिका 2.1 में यह स्पष्ट किया गया है कि भर्ती नियम 2018 की धारा 4(1) के अंतर्गत सेवा में नियुक्त व्यक्ति की सेवाए दिनांक 01.7.2018 से प्रारंभ होगी तथा तदानुसार इस सेवा में नियुक्ति पर दिनांक 01.7.2018 की स्थिति में म.प्र वेतन पुनरिक्षण नियम 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत वेतन निर्धारण किया जाएगा।

उपरोक्त के अनुक्रम में म.प्र राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा, शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत दिनांक 01.07.2018 से सुसंगत पदों पर नियुक्त एवं जिला पंचायत से छटवें वेतनमान का वेतन निर्धारण का अनुमोदन प्राप्त लोक सेवकों को सातवाँ वेतनमान उनसे संलग्न प्रारूप 'अ' वचन—पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 01.10.2019 से (अक्टूबर Paid in नवम्बर 2019) प्रदान किया जाए। सॉतवे वेतनमान में नियमानुसार वेतन निर्धारण अनुमोदन के उपरांत नियमानुसार ऐस्यर प्रदाय के संबंध में पृथक से समुचित शासन आदेश जारी किया जाएगा।

संलग्न — वचन पत्र


उप सचिव 25.10.19
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठ क्र. एफ-1 / 14 / 2019 / 20-1

भोपाल, दिनांक 25.10.2019

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश।
5. आयुक्त लोक शिक्षण(आई टी शाखा) की ओर भेज कर अनुरोध है कि इसे एजुकेशन पोर्टल पर तत्काल अपलोड करने का कष्ट करें।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. समस्त संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
9. समस्त आयुक्त नगर पालिक निगम म.प्र।
10. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका/नगर परिषद, म.प्र।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत, म.प्र।
12. समस्त जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

उपसचिव 25.10.19
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

प्रपत्र—अ
वचन पत्र (Undertaking)

मुझे यह ज्ञात है कि मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत मेरा जो वेतन नियतन अभी पुनरीक्षित वेतन मेट्रिक्स में किया गया है वह अनन्तिम (Provisional) है। मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं राज्य शासन को वह संपूर्ण राशि जो कि वेतन नियतन में अनियमितता के कारण तथा अन्य कोई भी धनराशि जो कि इस प्रकार वेतन नियतन के कारण मुझे अधिक भुगतान की गई है, शासन के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित राशि वापस करूंगा/करूंगी तथा इस प्रकार की राशि मेरे देय स्वत्वों से काटी जा सकेगी। मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि यदि उक्तानुसार मेरे द्वारा देय राशि को मैं लौटाने में असमर्थ रहता/रहती हूँ तो इस देय राशि की वापसी के लिए मैं अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रतिनिधियों और समनुदेशितियों को आबद्ध करता/करती हूँ। मैं यह भी सहमति देता/देती हूँ कि मेरे द्वारा देय राशि मुझसे राजस्व की बकाया के रूप में वसूली कर ली जाए।

साक्षी

हस्ताक्षर शासकीय कर्मचारी

हस्ताक्षर

पदनाम

पता

स्थान

दिनांक

दिनांक